न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/1297/2004/चित्तौड़गढ़

1— सालगराम पिता नाथू, जाति कुल्मी, निवासी जीवनपुरा (राज0)
2— जगदीश पिता नानूराम, जाति मेघवाल, निवासी सैमरथली (राज0)
3— बंशीलाल पिता नानूराम, जाति मेघवाल, निवासी सैमरथली (राज0)
तहसील छोटीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

...अपीलान्टस

बनाम

1— प्रेमचंद पिता नानूराम, जाति मेघवाल, निवासी सैमरथली (राज0)
2— गौकुल पिता परथा, जाति मेघवाल, निवासी सैमरथली (राज0)
3— बापूलाल पिता धनराज, जाति कुल्मी, निवासी जीवनपुरा (राज0)
4— गोपाल पिता राजाराम, जाति कुल्मी, निवासी जीवनपुरा (राज0)
5— जौरजी पिता नानूराम, जाति मेघवाल, निवासी सैमरथली (राज0)
तहसील छोटीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
6— राज0 सरकार जरिए तहसीलदार

...रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः—
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलान्टस ।
श्री वी0एस0 राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

————————

निर्णय

दिनांकः— 08.06.2023

यह अपील अपीलान्टस द्वारा अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2004 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 175 राज0काश्त0अधि0 के तहत मौजा सैमरथली तहसील छोटीसादड़ी में स्थित विवादग्रस्त आराजी पर

भूमिधारी को कब्जा दिलाए जाने बाबत् पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 280/1976 से दर्ज रजिस्टर किया गया । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 16.11.1976 को स्वीकार किया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 4 व 5 ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ के न्यायालय में पेश की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 05.07.1986 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। तत्पश्चात् प्रकरण वाद कार्यवाही अतिरिक्त कलक्टर, प्रतापगढ़ के न्यायालय में स्थानांतरित होने पर कार्यवाही दिनांक 16.05.2000 को वादी का वाद डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में पेश की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.01.2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3— हमनें पक्षकारान के विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय के यहां अपील होने के बाद प्रकरण रिमांड होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें अपीलांट, रेस्पो0 नंबर 2, 3, 6 को प्रकरण के मुंतकिल बाबत् और वापस सुनवाई बाबत् कोई नोटिस नहीं मिल सके, जिस कारण अपीलांट उक्त प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के जवाब के संदर्भ में ही उक्त प्रकरण डिक्री कर दिया है जो 175 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय पक्षकार नहीं थे। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। पैरवी पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की गई और प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राज0काश्त0अधि0 आराजी नंबर 323/2 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा जमीन बाबत् है, जिस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रार्थना पत्र में मौखिक साक्ष्य के समय किसी प्रकार के बय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर प्रमाणित नहीं कराई गई केवल मात्र पटवारी हल्का के मौका पर्चा और गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर जो धारा 175 राज0काश्त0अधि0 का वाद डिक्री किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। पैरवी पक्ष ने मौका रिपोर्ट के गवाहान जिनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई गई थी, जिन लोगों ने विवादग्रस्त आराजी पर कौन काबिज है उन लोगों या उस खेत के आस—पड़ौस की गवाही नहीं कराई है। ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का का मौका पर्चा और खसरा गिरदावरी के आधार पर धारा 175 राज0काश्त0अधि0

का प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना चाहिए था, इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं डिक्रीयों को निरस्त किया जावें तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावें।

5— योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

5— हमनें योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

6— पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, छोटी सादड़ी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के समक्ष पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.11.1976 को वादी/तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नंबर 323/2 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा को सिवाय चक घोषित कर कब्जा राज लेने के आदेश दिए । उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 3 व 4 ने राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में पेश की जो निर्णय दिनांक 5.7.1986 को स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर तथा बाद कार्यवाही अतिरिक्त कलेक्टर, प्रतापगढ़ के न्यायालय को हस्तातंरित होने पर अतिरिक्त कलेक्टर, प्रतापगढ़ ने निर्णय दिनांक 16.5.2000 को पारित कर वादी का वाद डिक्री किया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ के न्यायालय में पेश की । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.01.2004 द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी की अपील खारिज की ।

7— राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ़ ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है किः—'' अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड होने पर रेस्पो0 को सूचना दी गई इसलिये अपील में यह अंकित करना कि उन्हें सूचना नहीं दी गई, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय में बाबूलाल व गोपाललाल ने उत्तर पेश कर दिनांक 23.4.1988 को यह अंकित किया है कि उन्होंने भूमि 1950 में विक्रय की जिसकी लिखापढ़ी उनकी बही में है । इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में संशोधित वाद बिन्दु

कायम कर तनकी संख्या 2 व 3 कायम की गई परन्तु प्रतिवादीगण बाबूलाल एवं गोपाल ने प्रकरण की कार्यवाही में भाग नहीं लिया । इसके अतिरिक्त इस न्यायालय के रिमाण्ड आदेश के समय अपीलांट बाबूलाल व गोपाल ने आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर भूमि खाते में नहीं होने पर दुबारा पंजीयन विक्रय पत्र दिनांक 4.6.1971 को 40,000/—रू0 में कराना तथा इससे संबंधित दस्तावेज पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी ने किसी प्रकार की बही में लिखतम पेश नहीं किया । इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर बाबूलाल, गाूपाल को आवश्यक पक्षकार बना उन्हें सुनने की आज्ञा दिनांक 5.7.1986 को दी गई परन्तु उनके द्वारा अपने कथन को प्रमाणित नहीं किया गया जबकि नाथूलाल पटवारी के बयान से पर्चा मौका दिनांक 25.2.1976 एवं खसरा प्रति जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पेज सी—2 पर शामिल है, से विक्रय से सालगराम को हस्तातंरण की पुष्टि होती है।''

8— अपीलीय न्यायालय के निर्णय में दिये गये उपरोक्त निष्कर्ष से यह प्रमाणित है कि विवादित आराजियात के खातेदार जोरजी, बंशीलाल, जगदीश पि0 नानूराम एवं गोकुल पिता प्रथा चमार द्वारा जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है, जिनके द्वारा विवादित आराजियात का बेचान वर्तमान अपीलांट सालगराम पिता नाथू जो कि स्वर्ण जाति का सदस्य है, को किया गया है । धारा 42 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार अनुसूचित जाति का व्यक्ति स्वर्ण जाति के व्यक्ति को आराजी का बेचान, हस्तातंरण नहीं कर सकता है । हस्तगत प्रकरण में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा स्वर्ण जाति के सदस्य के पक्ष में किए गए बेचान/हस्तातंरण को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया है । विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री किया है जिसमें किसी प्रकार विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से अपीलीय न्यायालय ने यथावत् रखा है जो विधिसम्मत् निर्णय है ।

9— उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.1.2004 एवं अतिरिक्त कलेक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.5.2000 यथावत् रखे जाते है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य